राज्य सभा सचिवालय

(कार्मिक अनुभाग)

संसदीय सौध,
नई दिल्ली।

<u>सं. आरएस 30/1/2019-कार्मिक</u> दिनांक 7 नवंबर, 2019

<u>परिपत्र</u>

(सं.19)

विषयः <u>सत्रावधि के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की पाबंदी और उपलब्धता</u>

सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को पुनः सूचित किया जाता है कि किसी सत्र विशेष का आमंत्रण जारी होने के बाद, संसद से संबंधित विषयों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। संसद के कार्यकरण के विभिन्न पक्षों के संबंध में जानकारी और उसकी आपूर्ति संबंधी अनेक अनुरोध प्राप्त किए जाते हैं जो विभिन्न प्रभागों के अधिकारक्षेत्र में आते हैं और उनसे राज्य सभा सचिवालय के विभिन्न संवर्ग और सेवाएं जुड़ी होती हैं।

2. इस पृष्ठभूमि में, यह अनिवार्य है कि आमंत्रण जारी होने की तारीख से राज्य सभा के सत्रावसान की तारीख तक, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहें और कार्य समय के दौरान यहां तक कि विचार-विमर्श सत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यालय के समय और कार्यसमय के बाद भी उपलब्ध रहें और उन तक आसानी से पहुंचा जा सके।

3. सत्रावधि के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता और सुलभता से संबंधित निम्नलिखित दिशा-निर्देश अनुपालनार्थ सूचीबद्ध किए जाते हैं:

(i) सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जब तक कि सौंपे गए कार्य/कार्यों के लिए यात्रा आवश्यक न हो, कार्य समय अर्थात् पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे के दौरान अपने सम्बद्ध कार्यालय परिसर में उपस्थित रहना चाहिए।

(ii) जब कभी भी अधिशासी अधिकारी और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी अपने स्थान से उठकर बाहर जाते हैं (भोजनावकाश अर्थात् अपराह्न 1.30 बजे से अपराह्न 2.00 बजे की अवधि छोड़कर), उन्हें अपने संपर्क अधिकारी/पर्यवेक्षी अधिकारी को यथोचित जानकारी देनी चाहिए कि वे वहां जा रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे शीघ्रता से संपर्क स्थापित किया जा सके।

(iii) सप्ताहांत और अवकाशों के दौरान, अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर नहीं जाना चाहिए।

(iv) सामान्यतया उपर्युक्त अवधि अर्थात् आमंत्रण जारी होने की तारीख से राज्य सभा के सत्रावसान की तारीख तक किसी भी प्रकार के अवकाश की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

4. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे ऊपर दिए गए अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने में अपना सहयोग करें।

अमित

(अमित कुमार)
उप सचिव

सेवा में,

समस्त अधिकारी/अनुभाग/निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक